रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2001/फाल्गुन 1, 1922

No. 80] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2001/PHALGUNA 1, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

पोत परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2001

सा. का. नि. 104(अ).—आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने, विशाखापट्टनम् ट्रालर्स वर्कर्स यूनियन और आल इंडिया डीप सी फिशिंग टैक्नोक्रेट्स एसोसिएशन बनाम विशाखापट्टनम् ट्रालर्स ओनर्स और भारत संघ तथा अन्य (1990 की रिट याचिका सं. 3697) के मामले में, तारीख 17 सितम्बर, 1990 के अपने आदेश में, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अधिकरण गठित करने का निदेश किया था,

और अपील में, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तारीख 11 मार्च, 1991 के अपने आदेश द्वारा अधिकरण के गठन के लिए एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की थी;

और उक्त वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 150 के अधीन तारीख 6 मई, 1991 को श्री जे. जी. सावंत की अध्यक्षता में अधिकरण गठित किया गया था,

और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 31 जुलाई, 1991 के अपने आदेश द्वारा उक्त अधिकरण के गठन के लिए आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी थी,

और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 29 जुलाई, 1998 के अपने आदेश द्वारा, असफल होने के कारण अपील खारिज कर दी थी;

और श्री जे जी. सावंत का, जो उक्त अधिकरण की अध्यक्षता कर रहे थे, निधन हो गया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना का. आ संख्या 314, तारीख 6-5-91 को अधिक्रान्त करते हुए ऊपर कथित अर्जीदारों द्वारा उठाए गए विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण गठित करती है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम् में होगा और उक्त अधिकरण में श्री के. पार्थसारथी, "निर्वाण", प्लाट सं 47, निवास सं 7-23-4, किर्लामपुडि, विशाखापट्टनम्-530017, आन्ध्र प्रदेश को नियुक्त करती है जो अधिकरण का पंचाट, केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

2. उक्त अधिकरण को सौंपे गए कृत्य और निबंधन तथा शर्तें इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए हैं।

अनुसूची

क. सौंपे गए कृत्य

अर्जीदारों द्वारा अपनी ऊपर उल्लिखित याचिका में उठाए गए विवादों का न्यायनिर्णयन।

ख. निबंधन और शर्तें

(i) अधिकरण का मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा और उसके सचिवालय संबंधी सहायता, भारसाधक सर्वेक्षक, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, विशाखापट्टनम् और प्रधान अधिकारी वाणिज्यिक समुद्री विभाग, चेन्नई के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) कार्यवाहियों के संचालन तथा यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते और अन्य सहबद्ध व्ययों पर अधिकरण द्वारा उपगत होने वाले व्यय का भार, शीर्ष-यात्रा व्यय (घरेलू) और उपशीर्ष कार्यालय व्यय के अधीन भारसाधक सर्वेक्षक, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, विशाखापट्टनम् द्वारा वहन किया जायेगा।

(iii) अधिकरण, साक्ष्य लेने और सौंपे गए कृत्यों से सुसंगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी व्यष्टि या मत्स्य जलपोत कर्मकार या ऐसे कर्मकारों के किसी संघ और मत्स्य नौकाओं के स्वामियों को, जिनके अधीन संबंधित कर्मकार नियोजित थे, बुला सकेगा।

(iv) एक सदस्यीय अधिकरण के अध्यक्ष को प्रति बैठक या प्रतिदिन 1500/- रु. संदत्त किए जाएंगे और वह नियमों के अधीन अनुज्ञेय रूप में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के हकदार होंगे (स्पष्टीकरण—एक बैठक, प्रत्येक अवसर पर, पांच घंटे से अन्यून होगी)।

(v) अधिकरण का कार्यकाल, इसके गठन की तारीख से, तीन मास का होगा।

(vi) अधिकरण अपनी रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार को, अपने गठन की तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेगा।

[फा. स. ए-11019/27/96-एम ए]

एम. रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2001

G.S.R. 104(E).—Whereas in the matter of Visakhapatnam Trawlers Workers Union and All India Deep Sea Fishing Technocrats Association versus Visakhapatnam Trawlers Owners and Union of India & Others (Writ Petition No. 3697 of 1990), the Andhra Pradesh High Court, in its Order dated 17th September, 1990, directed the Central Government to set up a Tribunal under section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

AND WHEREAS on an appeal the Division Bench of the Andhra Pradesh High Court, vide its Order dated 11th March, 1991, confirmed the Order of the Single Judge for the setting up of the Tribunal;

AND WHEREAS a Tribunal, headed by Shri J.G. Sawant, was constituted on 6th May, 1991 under Section 150 of the said Merchant Shipping Act, 1958;

AND WHEREAS the Supreme Court, vide its Order dated 31st July, 1991, stayed the Judgement of the Andhra Pradesh High Court for constitution of the said Tribunal;

AND WHEREAS the Supreme Court, vide its Order dated 29th July, 1998, dismissed the appeal as having become infructuous;

AND WHEREAS Shri J.G. Sawant, who was heading the said Tribunal, has expired;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), and in supersession of the Notification SO No. 314 dated 6.5.91 of the then Ministry of Surface Transport, the Central Government hereby constitutes a Tribunal with its headquarters at Visakhapatnam for the adjudication of the issues raised by the Petitioners stated above and appoints Shri K. Partha Sarathy, 'Nirvana', Plot No. 47, Door No. 7-23-4, Kirlampudi, Visakhapatnam- 530017, Andhra Pradesh, to the said Tribunal who shall submit the Award of the Tribunal to the Central Government within three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The terms of reference and terms and conditions of the said Tribunal are set out in the Schedule annexed to this Notification.

Schedule

1. **Terms of Reference:**

To adjudicate the issues raised by the petitioners in their above mentioned petition and make appropriate recommendations.

3. **Terms and Conditions:**

(i) The Tribunal shall have its Headquarters at Visakhapatnam and Secretariat assistance shall be provided by the Office of the Surveyor – In – Charge, Mercantile Marine Department, Visakhapatnam and Principal Officer, Mercantile Marine Department , Chennai.

(ii) The expenditure to be incurred by the Tribunal in conducting the proceedings and TA/DA and other allied expenses shall be born by the Surveyor-In-Charge, Mercantile Marine Department, Visakhapatnam under the head- Travelling Expenses (Domestic) and sub-head Office Expenses.

(iii) The Tribunal may invite individual or any fishing Trawlers Workers or any Union of such workers and Owners of the fishing Boats under whom the concerned workers were employed for giving evidence and obtaining information relevant to terms of reference.

(iv) The Chairman of the one man Tribunal shall be paid Rs. 1500/- per sitting or per day and would also be entitled to TA/DA as admissible under rules (Explanation One sitting shall not be for less than five hours on each occasion).

(v) The terms of the Tribunal shall be for Three months from the date of its constitution.

(vi) The Tribunal will submit its report to the Central Government within 3 months from the date of its constitution.

[F. No. A-11019/27/96-MA]

M. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.